## OUR PUBLICATIONS

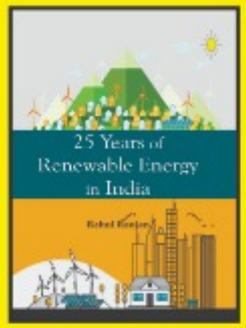

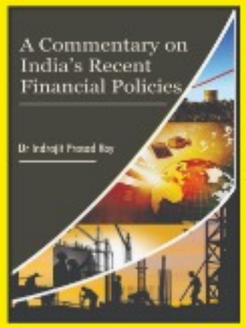

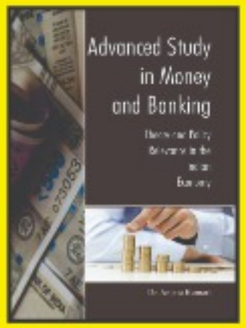

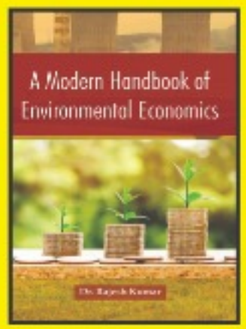

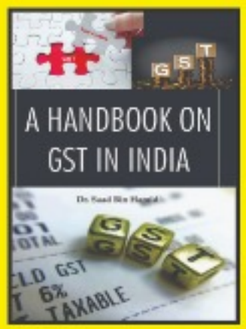

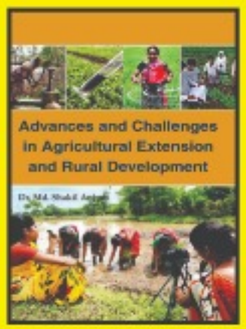

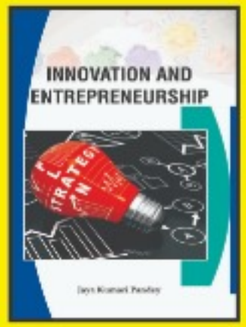

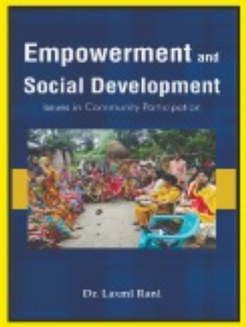

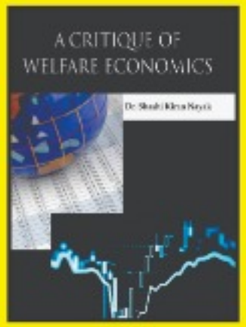




























Globus Press

448, Pocket-V, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091 (INDIA)
Ph.: 011-22753916


ISSN 0975-119X

UGC-CARE GROUP I LISTED

वर्ष 12 अंक 5 सितंबर-अक्टूबर 2020

# दृष्टिकोण

## कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका



IMPACT FACTOR : 5.051

India's Leading Referred Hindi Language Journal

# दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

**डॉ. अश्विनी महाजन**

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

**डॉ. प्रसून दत्त सिंह**

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

**डॉ. फूल चन्द**

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

**दृष्टिकोण प्रकाशन**

वर्ष : 12 अंक : 5 ❑ सितम्बर-अक्टूबर, 2020

# दृष्टिकोण

**संपादक मंडल**

**डॉ. अरुण अग्रवाल**
ट्रेन्ट विश्वविद्यालय, पीटरबरो, ओंटारियो
**डॉ. दया शंकर तिवारी**
दिल्ली विश्वविद्यालय
**डॉ. आनंद प्रकाश तिवारी**
काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी
**डॉ. प्रकाश सिन्हा**
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद
**डॉ. दीपक त्यागी**
दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर
**डॉ. अरुण कुमार**
रांची विश्वविद्यालय, रांची
**डॉ. महेश कुमार सिंह**
सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका
**डॉ. हरिश्चन्द्र अग्रहरि**
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
**डॉ. पूनम सिंह**
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
**डॉ. एस. के. सिंह**
पटना विश्वविद्यालय, पटना
**डॉ. अनिल कुमार सिंह**
जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा
**डॉ. मिथिलेश्वर**
वीर कुंअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
**डॉ. अमर कान्त सिंह**
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
**डॉ. ऋतेश भारद्वाज**
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
**डॉ. स्वदेश सिंह**
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
**डॉ. विजय प्रताप सिंह**
छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

**संपादकीय सम्पर्कः**

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
फोन : 011-22753916, 35522994 Mobile: 9710050610, 9810050610
e-mail : editorialindia@yahoo.com; editorialindia@gmail.com; delhijournals@gmail.com
Website : www.ugc-care-drishtikon.com
©Editorial India
Editorial India is a content development unit of Permanence Education Services (P) Ltd.

**ISSN 0975-119X**

**नोटः** पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

# सम्पादकीय

## लघु-मध्यम उद्यमों की परिभाषा की कवायद

एक लंबे समय से लघु उद्योगों की परिभाषा का विषय विवाद का कारण बना हुआ है। 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता का सूत्र संभाला था, उससे ठीक पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा में आमूलचूल परिवर्तन किया था। उससे पूर्व वे उद्योग जिनमें प्लांट और मशीनरी की लागत 60 लाख रूपए या उससे कम थी, लघु उद्योग कहलाते थे। लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस सीमा को 60 लाख से बढ़ाकर अचानक 3 करोड़ (5 गुणा) कर दिया था। चुनाव से पूर्व वाजपेयी ने उसे अनुचित बताया था और उनकी सरकार आने पर उसे बदलकर 1 करोड़ करने का वादा किया था। इस वादे को निभाते हुए वाजपेयी सरकार ने लघु उद्योगों की परिभाषा को पुनः बदलते हुए, उसमें प्लांट और मशीनरी की लागत की सीमा को घटाकर 1 करोड़ कर दिया। लंबे समय तक यह विवाद थमा रहा। इस बीच वर्ष 2006 में एमएसएमई अधिनियम लागू किया गया, जिसके अनुसार एस.एस.आई (लघु पैमाने के उद्योगों) के स्थान पर एक नई परिभाषा एमएसएमई (माइक्रो, स्माल, मीडियम एंटरप्राइज) लागू हो गई। इसमें दो प्रमुख बदलाव आए।

एक, उद्योग के स्थान पर उद्यम शब्द का उपयोग प्रारंभ किया गया और दूसरा लघु के साथ-साथ मध्यम श्रेणी के उद्यम नाम का एक और वर्ग इसमें शामिल किया गया। तर्क यह था कि लघु उद्यमों को मिलने वाले लाभ जैसे सरकारी खरीद में प्राथमिकता, वित्त में रियायत आदि का लाभ छिन जाने के भय से लघु उद्यमों को विस्तार करने में झिझक होती थी। मध्यम श्रेणी के उद्यमों को भी परिभाषा में शामिल करने पर यह झिझक समाप्त हो जाएगी। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 25 लाख, लघु उद्यम में यह सीमा 5 करोड़ और मध्यम श्रेणी के उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 10 करोड़ रखी गई।

यह परिभाषा अभी तक लागू रही है। लेकिन केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद इस परिभाषा में बदलाव की कवायद चल रही थी। इस बीच एक नए एमएसएमई एक्ट हेतु तैयारी शुरू हुई। इस हेतु विधेयक अभी संसद में प्रस्तावित है। सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को बदलकर, सीमा को प्लांट एवं मशीनरी से बदल कर 'टर्न ओवर' के आधार पर करने का प्रस्ताव काफी दिनों से आधिकारिक हलकों से चल रहा था। लेकिन इसके विरोध के चलते, सरकार ने परिभाषा प्लांट एवं मशीनरी में निवेश और 'टर्न-ओवर' दोनों के आधार पर करना तय किया और इस हेतु 1 जून 2020 को एक अध्यादेश जारी कर सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यमों के लिए निम्न परिभाषा निश्चित की है।

1. सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में एक करोड़ रूपए से अधिक का निवेश नहीं होता है, तथा उसका करोबार पांच करोड़ से अधिक नहीं होता है।
2. लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में पांच करोड़ रूपए से अधिक का निवेश नहीं होता है, तथा उसका करोबार 50 करोड़ से अधिक नहीं होता है।

मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में 50 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश नहीं होता है, तथा उसका करोबार 250 करोड़ से अधिक नहीं होता है।

इस अधिसूचना को 1 जुलाई 2020 से लागू कर दिया गया है।

चूंकि कई उद्यम ऐसे रहते हैं, जहां संयंत्र, मशीनरी एवं उपस्कर तो कम होते हैं, लेकिन उनकी टर्नओवर काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इस प्रकार के भारी कारोबार करने वाले उद्यम भी एमएसएमई की श्रेणी में आ जाते थे। इसलिए 'निवेश' और 'कारोबार' दोनों के समिश्रण से उस समस्या का समाधान तो हो गया है। लेकिन वर्तमान अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के चलते यह विवादों के घेरे में है। लघु उद्योगों के कई संगठन इस अध्यादेश का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं।

इन संगठनों की पहली आपत्ति इस बात को लेकर है कि एमएसएमई की इस परिभाषा में विदेशी पूंजी प्राप्त उद्योगों को अलग नहीं किया गया है। देशीय लघु उद्यमों का मानना है कि ऐसे में बड़े विदेशी निवेशक लघु उद्यमों का स्थान हस्तगत कर लेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई विदेशी उद्यमी 50 करोड़ रुपए तक के निवेश और 250 करोड़ तक कारोबार के साथ मध्यम श्रेणी के उद्यम के लाभ हस्तगत कर सकेंगे और भारतीय उद्यमों को नुकसान होगा। उनका यह भी कहना है कि पूर्व की परिभाषा के अनुसार मात्र 0.007 प्रतिशत उद्यम ही मध्यम श्रेणी में थे। नई परिभाषा में तो लघु उद्यम कहलाएंगे क्योंकि 10 करोड़ से कम निवेश है। अब जो भी मध्यम लगेंगे वह सब नये लगेंगे। इसलिए वर्तमान के मध्यम दर्जे के उद्यमों को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी पूंजी के साथ नए उद्यमों को ही नई परिभाषा का लाभ होगा।

नए अध्यादेश पर दूसरी आपत्ति यह है कि इस अध्यादेश में पूर्व के एमएसएमई अधिनियम (2006) के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग और सेवा उद्यमों में भेद नहीं किया गया है। गौरतलब है कि एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों में सेवा क्षेत्र में संलग्न उद्यमों की निवेश की सीमा मात्र 10 लाख रूपए थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में यह 25 लाख रूपए थी। लघु सेवा उद्यमों में निवेश की सीमा 2 करोड़ रूपए, मध्यम सेवा उद्यमों में यह 5 करोड़ रूपए ही थी। समझना होगा कि लघु मैन्युफैक्चरिंग उद्यम उनमें रोजगार सृजन के अवसरों के नाते जाने जाते हैं। समझना होगा कि सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन की

संभावनाएं मैन्युफैक्चरिंग से बहुत कम होती है। इसलिए जब विषय रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का हो तो सेवा क्षेत्र के उद्यमों को मैन्युफैक्चरिंग के समकक्ष रखना सही नहीं होगा। इसलिए ट्रेडिंग और असेम्बलिंग आदि सेवाओं को मैन्युफैक्चरिंग से भिन्न माना जाना ही सही होगा, अन्यथा मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन घटेगा।

नए अध्यादेश के संदर्भ में तीसरी अपत्ति यह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा को बदलने के संदर्भ में जहां लघु उद्यमों में निवेश (संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में निवेश) की सीमा को 5 करोड़ से दुगना कर 10 करोड़ रूपए की गई है, लेकिन मध्यम श्रेणी के उद्यमों के लिए यह 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ (5 गुणा अधिक) कर दी गई है। यानि ऐसा प्रतीत होता है कि बड़े उद्यमों को भी एमएसएमई की श्रेणी में लाने का यह प्रयास है। इससे अभी तक के एमएसएमई का लाभ अब अपेक्षाकृत बहुत बड़े उद्यमों को भी मिलने वाला है। यह कुछ अटपटा और अजीब तो लगता ही है, वास्तवकि रूप से बड़ों को लाभ देने वाला है, क्योंकि वित्त, सरकारी खरीद आदि में अब बड़े उद्यमों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी, हालांकि कुछ मध्यम श्रेणी के उद्यमों की संख्या कुल उद्यमों का मात्र 0.007 प्रतिशत ही है।

इस अध्यादेश का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जो ध्यान में आ रहा है कि एमएसएमई में विदेशी निवेश प्राप्त उद्यमों को भी शामिल रखा गया है। लघु उद्यम संगठनों का मानना है कि 50 करोड़ रूपए के बड़े निवेश वाले तथाकथित मध्यम श्रेणी के उद्यम, एमएसएमई के समस्त लाभों को हस्तगत कर लेंगे। इसलिए इन संगठनों की मांग है कि विदेशी निवेश प्राप्त उद्यमों को एमएसएमई परिभाषा शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

एक अन्य आपत्ति यह है कि जब 'टर्न ओवर' यानि कारोबार का प्रश्न आता है तो उसमें से निर्यात के कारोबार को हटाकर देखा जाएगा। इस बात का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि यदि कोई बड़ा उद्यमी (या निर्यातक) जिसका संयंत्र और मशीनरी अथवा उपस्कर में तो निवेश कम है, लेकिन बड़ी मात्रा में निर्यात करता है तो वह देश के एमएसएमई के समकक्ष आ सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई फर्म 1000 करोड़ रूपए का निर्यात करती है और 250 करोड़ रूपए का कारोबार देश में करती है, लेकिन संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 करोड़ रूपए या कम है तो भी वह एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएगी। यह अत्यंत अटपटा है।

हमें देखना होगा कि फर्मों को उसके आकार और कुल कारोबार के अनुसार ही वर्गीकृत किया जाना चाहिए। किसी भी हालत में निर्यात अथवा किसी और बहाने से बड़ी फर्मों को एमएसएमई की श्रेणी में लाया जाना, लघु उद्यमों को प्रश्रय देने के औचित्य को ही समाप्त कर देगा।

यानि कहा जा सकता है कि सरकार को वर्तमान नोटिफिकेशन पर नए सिरे से विचार कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों को सही प्रकार से परिभाषित करना चाहिए, ताकि लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर देश में रोजगार, वितरण में समानता, विकेन्द्रीकरण आदि के लक्ष्यों को भली भांति प्राप्त किया जा सके।

**संपादक**

# इस अंक में


नवीन लोक प्रशासन : एक सामान्य अध्ययन–डॉ० अशोक कुमार 1

भारत में जनजातियों का वर्गीकरण विशेषत: झाखण्ड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के सन्दर्भ में–डॉ० राघवेन्द्र प्रसाद सिन्हा 5

भारत में भूमि सुधार : एक सामान्य अवलोकन–डॉ० धर्मेन्द्र धारी सिंह 9

स्वतन्त्रता आन्दोलन में बिहार की कुछ राष्ट्रवादी महिलाओं की जीवन उपलब्धि : एक ऐतिहासिक अवलोकन–अनीता कुमारी 13

भारत में महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी कार्यक्रमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन–दीपक कुमार दास 19

राष्ट्र भर में वयस्क शिक्षा का महत्व–डॉ० मीता कुमारी 23

भारत में कृषि का विकास : पंचवर्षीय योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में–डॉ० सुनील चन्द्र झा 30

मुक्त समाज व्यवस्था और सामाजिक न्याय: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० अभय कुमार 34

भारत और ब्रिक्स: आतंकवाद पर साझा दृष्टिकोण–डॉ० प्रमोद कुमार 39

लोकसभा चुनाव 2014 में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी–डॉ० विजया सिंह 43

भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों का समीक्षात्मक अध्ययन–डॉ० निवेदिता 47

नेपाल में माओवादी आन्दोलन की भूमिका: एक समीक्षात्मक अध्ययन–सुनीता प्रसाद 51

बैंकिंग क्षेत्र में उभरते रुझान तथा आधुनिक बैंकिंग–डॉ० कुंदन कुमार सिंह 55

लालदास कृत रमेश्वरचरित मिथिला रामायणमे मिथिलाक वर्णन–कुमकुम कुमारी 59

भूमिका-अनुसन्धान-आलोचनाक प्रणेता–प्रो० रमानाथ झा; डॉ० गोपाल कुमार 62

आधुनिक मैथिली साहित्य: धूमकेतु–साधना कुमारी 65

भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति: एक अवलोकन–राजीव रंजन कुमार 67

माधवी में स्त्री अस्मिता का स्वरुप–सोनम सिंह 72

बुद्धिधर्मी का दायित्व और प्रेमचंद–शीतांशु 75

परमाराध्य : भगवान श्रीनाथजी का प्राकट्य वर्णन–डॉ० कांतिलाल यादव; शालिनी भट्ट 79

स्वामी विवेकानंद: सामाजिक विचारक के रूप में–डॉ० प्रतिमा गोंड 82

चन्द्रकिरण सौनरेक्सा की बाल कहानियाँ–डॉ० मिथिलेश कुमारी 87

भारतीय दर्शन में मानवतावादी दृष्टिकोण एवं इसकी प्रासंगिकता–प्रवीण कुमार यादव 90

दलित मानवतावादी: डॉ. अम्बेडकर–डॉ० शैलेन्द्र कुमार 93

साहित्य और पत्रकारिता के परिवर्तित मूल्य–डॉ० नलिनी सिंह 95

महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न करने में संचार माध्यमों की प्रभावशीलता का अध्ययन–डॉ० रीना चौरसिया 97

छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक द्वारा संचालित केसीसी योजना की प्रगति तथा शून्य ब्याज दर की ऋण वितरण राशि में प्रभावशीलता का अध्ययन–डॉ० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल; चुलेश्वर 101

प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के निर्धारण में तिथि निर्धारण की समस्या–डॉ० सुम्बुला फिरदौस 106

स्नातक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों की नोमोफोबिक (Nomophobic) प्रवृत्ति के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन–नरेन्द्र कुमार; डॉ० अंजना 109

कौशल विकास मिशन: बेरोजगारी उन्मूलन का अस्त्र–डॉ० पंकज मिश्र 115

दिनकर की कविताओं में स्वाधीनता संघर्ष–प्रियंका शर्मा 118

डॉ० सिग्मंड फ्रायड के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का भारतीय परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक अध्ययन–डॉ० सरिता शर्मा; रवीश कुमार 122

पूर्वाञ्चल क्षेत्र के बाल श्रमिकों की शिक्षा : समस्या एवं समाधान के संदर्भ में एक अध्ययन–आलोक कुमार श्रीवास्तव; डॉ० सुधांशु सिन्हा 127

तख्त श्री केसगढ़ साहिब: ऐतिहासिक प्रसंग–नवजोत सिंह 131

जिद्दू कृष्णमूर्ति - एक महान शैक्षिक विचारक–डॉ० राघवेन्द्र कुमार हुरमाडे; सुशील कुमार 135

आदिवासी क्षेत्र में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को प्राप्त शासकीय सुविधाओं के प्रति जागरूकता का अध्ययन
—डॉ० रिया तिवारी; दीपक कुमार धनगर 138
वैश्वीकरण और हिंदी का स्वरूप—डॉ० मौहम्मद अबीरउददीन 142
कबीर की सामाजिक चेतना में मानवाधिकार—डॉ० रविश कुमार सिंह 146
दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अवधारणा
—डॉ० राकेश कुमार डेविड; डॉ० संजीत कुमार साहू; डॉ० शोभना झा 149
पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी के विकास की संभावित दिशाएँ—डॉ० रीतामणि वैश्य 156
बच्चों के साथ घर और नौकरी संभालती महिलाएं और उनकी परेशानियाँ—डॉ० कुमारी पूजा 158
भारतीय संस्कृति एवं स्त्री विमर्श—सरिता शर्मा; संदीप कुमार 160
महिला सशक्तिकरण: सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर होने वाले भेदभाव के कुपरिणाम—सुकन्या; डॉ० अंजु सिंह 166
विवाह संस्था और स्त्री प्रश्न (विशेष संदर्भ समकालीन हिन्दी उपन्यास)—रेणु चौधरी 169
साहित्य इतिहास-लेखन में भक्त स्त्रियाँ—डॉ० कविता राजन 172
नारी-संवेदना (झांसी की रानी के आधार पर)—डॉ० विजय शंकर मिश्र 175
स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक : बदलते नैतिक मूल्य—ज्ञानेश पाण्डेय 178
रमेशचन्द्र शाह के ललित निबंधों का आलोचनात्मक चिंतन—कृपा शंकर 182
'गुरू ग्रंथ साहिब' में कुदरत की अवधारणा—जसप्रीत कौर; डॉ० अजयपाल सिंह 185
आदिवासियों में अंधविश्वास की समस्या और उसका औपन्यासिक प्रतिफलन—डॉ० उमेश कुमार पाण्डेय 190
बाँसवाड़ा जिले की साक्षरता : एक तुलनात्मक विश्लेषण (जनगणना 2001 व 2011 पर आधारित)—मनोज कुमार यादव 193
रसनिष्पत्ति प्रक्रिया की वैज्ञानिकता—डॉ० राजेश कुमार सिंह 198
असहयोग आन्दोलन में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका: बिहार के विशेष संदर्भ में—डॉ० मुकुल कुमार शर्मा 203
भारत में ऊर्जा सुरक्षा : एक आलोचनात्मक अध्ययन—श्रुति जायसवाल 206
नूर मोहम्मद के काव्य दर्शन का विश्लेषण—डॉ० प्रदीप कुमार सिंह 209
समकालीन हिंदी ग़ज़ल—रेशमा मोहन काम्बले 216
कोरोना और भारत का सहकारी संघवाद—प्रो० रेखा सक्सेना 221
गोरखा शासन काल में न्याय एवं दण्ड व्यवस्था का ऐतिहासिक अध्ययन (1804-1815 ई०) : गढ़वाल के विशेष सन्दर्भ में
—सत्येन्द्र धर्म्वाण; देवेश सिंह गर्ब्याल 225
ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी और बिहार में रेलवे का आगमन (1845-1871)—नवीन कुमार 229
गुरू नानक एवं मनमोहन सहगल की दार्शनिक चेतना में समानता—ब्रह्मलता 233
ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सृजनशीलता का उनकी वैज्ञानिक अभिवृत्ति पर पड़ने वाले
प्रभाव का अध्ययन—योगेश कुमार पाल 236
विज्ञान समूह के बी.एड. प्रशिक्षु शिक्षक की शिक्षण क्षमता पर इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन
—डॉ० योगिता जिवाने, डॉ० रिया तिवारी 239
मृदुला सिन्हा के निबंध साहित्य में सामाजिक व पारिवारिक संबंध—अंजुलता सारस्वत 242
रीवा संभाग के भूमि उपयोग प्रतिरूप पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव: एक भौगोलिक अध्ययन
—सितेश भारती; प्रो० शिव कुमार दुबे 245
बिहार में मानवीय विकास की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ : एक दार्शनिक अवलोकन—डॉ० पुनम कुमारी 253
दक्षिण भारत में देवदासी व्यवस्था: ऐतिहासिक एवं विश्लषणात्मक अध्ययन—डॉ० ऋतेष भारद्वाज 256
देह के दलदल से मन की मरुभूमि तक : एक हिजड़ा जीवन-कथा—पल्लवी प्रियदर्शिनी 261
मधु काँकरिया के साहित्य में नक्सलवादी समस्या—मीनाक्षी सिंह 269
भारतीय संस्कृति की अवधारणा महत्व घटक—कांता पारिक 273
पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक भारतीय जीवन शैली का प्रभाव—कुमार गौरव 276
'आग-पानी-आकाश' उपन्यास में 'दलित विमर्श'—लक्ष्मी देवी 281

जनसंख्या घनत्व: चतरा जिला (झारखण्ड) के संदर्भ में एक प्रतीक अध्ययन–डॉ० मनीष कुमार 285
पर्यावरणीय मुद्दे एवं आपदा प्रबंधन–मीना शर्मा 289
विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय संस्कृति के समावेश के क्षेत्र–श्रीमती मीनाक्षी मोदी 292
माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत उच्च, मध्यम व निम्न बौद्धिक स्तर के विद्यार्थियों की गणित उपलब्धि पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अध्ययन–नरेन्द्र कुमार; डॉ० मंजू गुप्ता 295
गीतांजलि श्री कृत 'तिरोहित' उपन्यास में स्त्री-विमर्श–नीलम कुमारी 301
स्त्री सुन्नत की भयावहता और उसके प्रति विद्रोह : दर्दजा–निशा देवी 304
वैश्विक जल प्रदूषण समस्या समाधानार्थ भारतीय जल संस्कृति–राजपाल सिंह यादव 307
विद्यार्थियों में पर्यावरणीय चेतना के लिए शिक्षा का महत्त्व–डॉ० गिरीश कुमार द्विवेदी 310
बनहरा ग्राम (बलिया जनपद) की जनसंख्या के आयु वर्ग संरचना का भौगोलिक विश्लेषण–रिम्पी राय 313
जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन में तत्व मीमांसा–डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी 318
महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका–सुनिता सारस्वत 323
"विद्यालयी शिक्षा में भारतीय संस्कृति का समावेशन"–डॉ० कंचन शर्मा 326
भरतपुर का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन–डॉ० कुलराज व्यास 329
भारत छोड़ो आन्दोलन में बिहार के व्यापक स्वरूप का वर्णन–लव कुमार 334
भारत में राज्यपाल का पद : वर्तमान परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में–डॉ० अल्पना व्यास 337
भारतीय उच्च शिक्षा पर ई-गवर्नेंस का प्रभाव–चन्दना शर्मा 340
कल्याणकारी राज्य और सामाजिक सुरक्षा–प्रतिभा सिंह 343
स्वछंदतावादी नाट्य-प्रवृत्तियाँ–डॉ० रेणु कुमारी 346
सुमित्रानंदन पंत की रचना 'गुंजन' का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन–उदिप्त तालुकदार 349
निराला के काव्य में अंग्रेजी राज का चरित्र–बबीता कुमारी 353
लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों में आर्थिक जीवन की अभिव्यक्ति–डॉ० उमेश कुमार शर्मा 357
स्मृति ग्रंथों में पराशर स्मृति का स्थान एवं महत्व–तरूण कुमार सिंह 361
मीटूइनइंडिया: एक आलोचनात्मक पड़ताल–अपर्णा दीक्षित 363
भक्तिकालीन कविता में लोकधर्म–डॉ० अजय कुमार यादव 366
मलेरिया रोग में आहार एवं पोषण का चिकित्सा भौगोलिक अध्ययन–देवेन्द्र कुमार शर्मा; डॉ० विजय कुमार वर्मा 369
वर्त्तमान समय में गाँधियन अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता–डॉ० शम्मी कुमारी 378
पार-सांस्कृतिक विवाहों में महिलाओं की बदलती हुई सांस्कृतिक पहचान: धौलपुर जिले के विशेष संदर्भ में –प्रो० मंजू सिंह; डॉ० पारो मिश्रा; सुश्री सोनिका 381
सोशल मीडिया और समाज : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–डॉ० युवराज कुमार 389
असम के आदिवासी लोकगीत : एक परिचयात्मक अध्ययन–मिजानुर हुसैन मण्डल 393
परम्परागत वैवाहिक जीवन की त्रासदी और प्रेम का द्वन्द्व (सुभद्राकुमारी चौहान की कहानियों के विशेष सन्दर्भ में)–आरती यादव 397
बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और इसकी चुनौतियां–रंजीत कुमार 404
भारत की विदेश नीति पर सार्क के प्रभाव का विश्लेषण–डॉ० ऋचा सिंह 408
भारत में कृषि श्रमिकों की प्रास्थिति–दिपेन्द्र सिंह 414
राजगढ़ तहसील में कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक–हरीश मीना; डॉ० जगफूल मीना 418
संगीत-व्यापार एवं रोजगार के साधन–डॉ० चन्देश्वर प्रसाद कुशवाहा 423
ध्रुवपद गायन शैली में बिहार का स्थान–डॉ० सुरेन्द्र कुमार राम 425
डेविड ह्यूम के ज्ञानमीमांसा का समीक्षात्मक अध्ययन–सुरबाला वर्मा 427
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्त्रों का आर्थिक महत्त्व–प्रोफेसर (डॉ०) संजय कुमार झा 431
ई-गवर्नेन्स और डिजिटल इंडिया: भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाना–डॉ० संतोष कुमार यादव 435
भारत में क्षेत्रीयतावाद की समस्या : पृथक मिथिला राज्य के संदर्भ में–डॉ० गुंजन कुमार 438

रोजगार में सेवा क्षेत्र की भागीदारी–डॉ० अंगूर कुमारी 442
स्वामी विवेकानंद तथा भारतीय युवा वर्ग: एक दृष्टि–डॉ० प्रियतोष शर्मा 447
अटल बिहारी वाजपेयी की कविता : विविध परिवेश–डॉ० भारत भूषण 450
भारतीय दर्शन में धर्म विचार–डॉ० नागेन्द्र तिवारी 454
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (1885)–सुनील कुमार पासवान 457
श्रीराधाचरित महाकाव्य के कथानक का पौराणिक आधार–डॉ० दिनेश कुमार 462
सामाजिक परिवर्तन में दर्शन की भूमिका–डॉ० अमृता कुमारी 469
बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव–डॉ० शोभा कुमारी 473
केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में प्रकृति चित्रण–डॉ० हरिश्चन्द्र अग्रहरि 475
कोविड लॉकडाउन, टेलीविजन कार्टून और बच्चे–राखी गौरवम एवं अनिंद्य देब 479
दलित महिलाओं की परिस्थिति पर मनरेगा का प्रभाव: मध्य प्रदेश के गांवों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण–डॉ० पवन कुमार मिश्र 482
विनायक दामोदर सावरकर और 1857 : एक पुनरावलोकन–डॉ० अमृता कुमारी 489
कोरोना संक्रमण काल में फेक न्यूज़ रोकने में पीआईबी की भूमिका–डॉ० शैलेश शुक्ला 492
गुप्तकाल: आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था–डॉ० रिंकु कुमारी 496
बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास–डॉ० श्याम सुन्दर शर्मा 504
भारत पर तुर्क आक्रमण एवं गुलाम वंश–डॉ० संजय कुमार 508
विदेशी व्यापार एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठनों का अध्ययन–डॉ० पवन कुमार वर्मा 516
बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन का विश्लेषणात्मक अध्ययन–मो० नौशाद 523
प्राचीन काल में स्त्रियों के कानूनी अधिकार–डॉ० नूतन कुमारी 528
महर्षि दयानन्द सरस्वती एवं डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की दृष्टि में सामाजिक सामञ्जस्य का आधार–डॉ० संदीप कुमार 534
भारत के दलितों में शिक्षा ग्रहण करने की स्थिति: एक विश्लेशणात्मक अध्ययन–डॉ० सीमा कुमारी 538
वैदिक युग में सामाजिक स्थिति–डॉ० कामेश्वर कुमार 541
हिंदी उपन्यास का उद्‌भव–जगदीश सिंह 545
भीष्म साहनी के साहित्य में नारी-चेतना : राजनीतिक पक्ष–मनकी रानी; डॉ० निरुपमा हर्षवर्धन 548
जन्म एवं परिचय–माधुरी राजनाथ सिंह 552
टेलीविजन का विकासक्रम–सिंह मीरा विश्वनाथ 556
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 : एक मूल्यांकन–नागेश्वर कुमार 559
भारतीय महिला आन्दोलन–डॉ० पिंकी पुनिया 564
21वीं सदी के हिंदी उपन्यास में मुस्लिम समाज : 'अपवित्र आख्यान' के विशेष संदर्भ में–अनिल कुमार; डॉ० रीता सिंह 577
ऋग्वेद में अश्विनीकुमार–डॉ० नीलम सिंह 580
कोशी अंचल के लोकगीतों में दाम्पत्य भावना–विनय कुमार चौधरी 583

# आदिवासियों में अंधविश्वास की समस्या और उसका औपन्यासिक प्रतिफलन

डॉ० उमेश कुमार पाण्डेय

*सहायक प्राध्यापक हिन्दी, शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज ( छ0ग0 )*

## शोध-सारांश

भारत की प्राय: सभी जनजातियों में अंधविश्वास की समस्या पायी जाती है। उनके दैनिक जीवन के बहुत से क्रियाकलाप अंधविश्वासों से संचालित होते हैं। आदिवासियों का विश्वास है कि उनकी छोटी-छोटी गलतियों से देवता नाराज होते हैं और प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारियाँ आती हैं। इन्हीं के निराकरण के लिए वे तमाम धार्मिक कर्मकाण्डों का सहारा लेते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, भवन निर्माण आदि अनेक अवसरों पर पूजा-पाठ संपन्न किये जाते हैं। आदिवासी भूत-प्रेत और झाड़-फूँक पर भी अत्यधिक विश्वास करते हैं। यहां तक की बहुत सी बीमारियों का इलाज भी अंधविश्वास के चलते झाड़-फूँक से करते हैं। इसका दुश्परिणाम यह होता है कि उचित इलाज के अभाव में रोगी की स्थिति दिनों-दिन गंभीर होती जाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में पीलिया का इलाज झाड़-फूँक से करने की प्रथा देखी जाती है। कई बार इसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। देश के अन्य भागों में भी झाड़-फूँक से बीमारियों का ईलाज किया जाता है। गोंड जनजाति में यह समस्या काफी अधिक है। गोंडों में गाँव का 'सिरहा' अनिष्टों के निवारण के लिए तरह-तरह के अनुष्ठान करता है। राजस्थान की करनट जनजाति भी भूत-प्रेतों के निवारण के लिए तरह-तरह के उपाय करती है। इसके लिए वे मंत्रों को सिद्ध करते हैं और अपने देवताओं को जगाते हैं। इस तरह अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में अधिकतर जनजातियाँ गहरे अंधविश्वास की शिकार हैं। टोना-टोटका के शक में टोनही की हत्या की खबरें आये दिन अखबारों में छपती रहती हैं। इसके कारण प्राय: आदिवासी और शेष समाज के बीच विवाद की स्थिति भी बनती है।

**Keywords :** ओझा, झाड़-फूँक, जादू-टोना, भूत-प्रेत, अशिक्षा, जागरूकता, बीमारी, बैगा, बलि, बुरी नजर, प्रेतात्मा।

भारतीय समाज में आदिवासी ऐसा वर्ग है जहां पर अंधविश्वास की समस्या आज भी गंभीर है। इन अंधविश्वासों का विस्तार उनके जीवन के लगभग हर क्षेत्र तक है। प्रकृति पर अत्यधिक निर्भरता और अशिक्षा तथा जागरूकता के अभाव में कई बार यह अंधविश्वास जानलेवा साबित होता है। आये दिन समाचार पत्रों में अंधविश्वास जनित दुर्घटनाओं की खबरें प्रकाशित होती रहती हैं। भारत की प्राय: सभी जनजातियों में अंधविश्वास की समस्या पायी जाती है। उनके दैनिक जीवन के बहुत से क्रियाकलाप अंधविश्वासों से संचालित होते हैं। आदिवासियों का विश्वास है कि उनकी छोटी-छोटी गलतियों से देवता नाराज होते हैं और प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारियाँ आती हैं। इन्हीं के निराकरण के लिए वे तमाम धार्मिक कर्मकाण्डों का सहारा लेते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, भवन निर्माण आदि अनेक अवसरों पर पूजा-पाठ संपन्न किये जाते हैं। आदिवासी भूत-प्रेत और झाड़-फूँक पर भी अत्यधिक विश्वास करते हैं। यहां तक की बहुत सी बीमारियों का इलाज भी अंधविश्वास के चलते झाड़-फूँक से करते हैं। इसका दुश्परिणाम यह होता है कि उचित इलाज के अभाव में रोगी की स्थिति दिनों-दिन गंभीर होती जाती है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में पीलिया का इलाज झाड़-फूँक से करने की प्रथा देखी जाती है। कई बार इसके कारण रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। देश के अन्य भागों में भी झाड़-फूँक से बीमारियों का ईलाज किया जाता है।

नागा और हो जनजाति के लोग शकुन विचारने पर विश्वास करते हैं। हो जनजाति के लोग शकुन-अपशकुन को विचारने के बाद ही विवाह करते हैं। विवाह के लिए जाते समय कुत्ते द्वारा जमीन खरोंचने तथा शिशु जन्म को ये लोग अपशकुन मानते हैं। इसी तरह नागा जनजाति के लोग बीमारियों के समय सुअर तथा मुर्गे की बलि देकर देवता को प्रसन्न करते हैं। शत्रु पक्ष को पराजित करने के लिए बिल्ली की बलि दी जाती है। जबकि सामान्यत: बिल्ली मारना निषिद्ध माना गया है। इसी तरह भारत की लगभग हर जनजाति भूत-प्रेत, जादू-टोने आदि में विश्वास करती है। गोंड जनजाति में यह समस्या काफी अधिक है। गोंडों में गाँव का 'सिरहा' अनिष्टों के निवारण के लिए तरह-तरह के अनुष्ठान करता है। राजस्थान की करनट जनजाति भी भूत-प्रेतों के निवारण के लिए तरह-तरह के उपाय करती है। इसके लिए वे मंत्रों को सिद्ध करते हैं और अपने देवताओं को जगाते हैं। अनेक जनजातियों में कष्टों के निवारण के लिए ताबीजों का सहारा लिया जाता है। इस तरह अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में अधिकतर जनजातियाँ गहरे अंधविश्वास की शिकार हैं। टोना-टोटका के शक में टोनही की हत्या की खबरें आये दिन अखबारों में छपती रहती हैं। इसके कारण प्राय: आदिवासी और शेष समाज के बीच विवाद की स्थिति भी बनती है। मध्य भारत की कई जनजातियों में यह कुप्रथा पाई जाती है।

आदिवासी भूत-प्रेतों पर अत्यधिक विश्वास करते हैं और उनके दुश्प्रभावों के निराकरण के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। वे झाड़-फूँक में भी विश्वास करते हैं और प्राय: उनके यहाँ यह कार्य ओझा के माध्यम से संपन्न होता है। आदिवासियों में अंधविश्वास की यह प्रथा प्राचीन काल से विद्यमान रही है। बाहरी समाज से कटे होने के कारण विकास का लाभ आदिवासियों तक नही पहुंच पाया, जिसके कारण उनकी सामाजिक गतिविधियां परंपरागत ढंग से चलती रहीं। शगुन-अपशगुन का विचार और अनेक अवसरों पर बलि देने की परंपरायें आदिवासी जीवन संस्कृति का हिस्सा रही हैं। बाद में चलकर इन परंपराओं

ने बुराई का रूप धारण कर लिया और आदिवासियों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होने लगा। इससे विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पैदा हुई। अंधविश्वास के कारण कई आदिवासी समुदाय अपने बच्चों को शिक्षित करने में भी रूचि नही दिखाते।

आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास के प्रसंग प्राय: सभी जनजाति केन्द्रित उपन्यासों में आये हैं, क्योंकि ये चीजें अतार्किक होने के बावजूद परंपरागत रूप से आदिवासियों की संस्कृति का हिस्सा रही हैं। बस्तर के जनजातीय जीवन पर केन्द्रित उपन्यास 'सूरज किरन की छांव' में वहां के जनजातियों में व्याप्त अंधविश्वासों की चर्चा की गयी है। उपन्यास में एक ओझा अंग्रेज अफसर से एक घटना का वर्णन करते हुए कहता है-''हां, हुजूर। जब पटेल के घर लड़का हुआ, तो उसकी छाती पर एक उल्लू बैठा था। पटेल की बड़ी लड़की साल्हो ने उसे ढेला मारा तो वह ढेला उठाकर ले भागा। उसी के बाद लड़का दिन-दिन घुलने लगा।''[1]

आदिवासी ज्यादातर बीमारियों को भूत-प्रेतों का प्रभाव मानते हैं। उनको लगता है कि भूत-प्रेत शरीर के अंदर प्रवेश कर बीमारी पैदा करते हैं और धीरे-धीरे कर आदमी को मारते हैं। 'शैलूष' उपन्यास का गोवर्धन नट अपने बेटे सुरजीत के बीमार होने पर कहता है-''सुरजितवा जबसे बीमार है तब से जाने कितने ओझा-ओझहत चिल्लाकर कह चुके हैं कि यह मरी (चमाइन की प्रेतात्मा) है। मैंने कहा कि भाभी, कमालपुर के डॉक्टर-वैद से कुछ न होगा। हम जानते हैं कि पिछले बीस साल से जब जिरिया चमाइन को चोरी के जुलुम में हमारे बाप ने मार डाला, तभी से यह रोग हमारे घर आया। मेरे बाप को ऐसा ही सरेशाम हुआ, और वह दो महीने बुखार से तड़प-तड़पकर मरा। वैसा ही सरेशाम सुरजीत का भी हो गया है।''[2] आदिवासी समाज में प्रेतात्मा से बीमारियों को जोड़कर देखने का दुश्प्रभाव यह होता है कि वे बीमारियों का इलाज ओझा आदि से कराने के चक्कर में पड़े रहते हैं और डाक्टर के पास नहीं जाते, फलत: उनकी बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और कई बार मृत्यु हो जाती है। यह भी देखने में आता है कि वे डॉक्टर की बजाय ओझा की बातों में अधिक विश्वास करते हैं। जिसके कारण मरीज का सही ईलाज नही हो पाता। कई बार ओझा भी अपना हित साधने के लिए आदिवासियों की अज्ञानता का लाभ उठाते हैं। भूत-प्रेत उतारने के नाम पर वे आदिवासियों से धन ऐठते हैं। कई आदिवासी तो कर्ज लेकर भी इस धन की व्यवस्था करते हैं। इससे वे ऋणी भी बन जाते हैं जो कि नए तरह की समस्या को जन्म देता है।

'जंगल के फूल' उपन्यास में गोंड जनजाति के जीवन में व्याप्त अंधविश्वास की चर्चा की गयी है। दुर्गम इलाकों में निवास करने और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान से दूर रहने के कारण गोंडों के जीवन में अभी भी परंपरागत मान्यतायें हावी हैं। उपन्यास में अंग्रेज अफसर और गांव के गायता के बीच संवाद से इस जाति में व्याप्त अंधविश्वास का पता चलता है-

गोरे ने पूछा - 'ये नारानडेव कौन डेव?'

गायता को जैसे अब गोरे की बात समझ में आ गयी थी। बोला-''सिरकार, यह बीमारियों का राजा है। सारी बीमारियां इसी के कहने पर चलती हैं। सारे भूत-प्रेतों का यह मालिक है। चुड़ैल इसके इशारे पर नाचती है।''[3] बहुत सारी विचित्र किस्म की मान्यताएँ इनके समाज में पायी जाती हैं जैसे, इन लोगों का विश्वास है कि झाड़-फूँक करने-कराने से संतान प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शेर की आँख में जादू होना, शरीर पर गुदना गुदवाने से मरने के बाद नरक की यंत्रणा से मुक्ति मिलना और 'कोरी देवी' को सिर झुकाकर गाँव में प्रवेश करना भी इनके सहज विश्वास हैं। पराये गांव की मोटियारी का अपने गांव लौटते समय पलट कर देखना, नृत्य के समय किसी चेलिक के सिर में बंधे मोर पंख का गिर जाना और विशेष अवसर पर शिकार पर गये हुए चेलिकों का खाली हाथ लौट आना इनके यहां अशुभ संकेत माना जाता है। गोंड जीवन में व्याप्त इन अंधविश्वासों पर डॉ. बंसीधर लिखते हैं-''साधारणतया यह जाति अज्ञान और अंधविश्वासों से भरा-पूरा जीवन जीने की आदी है। प्रकृति के तत्वों से भय खाने वाली है। अनेक तरह के देवी-देवताओं की पूजा और बलि से प्रसन्न रखने में ही यह अपनी सुरक्षा समझती है। झाड़-फूँक और टोने-टोटके में इसका सहज विश्वास है।''[4] छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में आज भी विकास की पहुंच धीमी है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में वहां की जनजातियां गहरे अंधविश्वास की शिकार हैं। गोंड़ जनजाति के विभिन्न वर्गों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। कई बार इस अंधविश्वास के कारण लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है।

'काला पादरी' उपन्यास में तेजिन्दर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की उरांव जनजाति में व्याप्त अंधविश्वास की चर्चा करते हैं। उरांवों में पारंपरिक ओझा के रूप में मान्यता प्राप्त बैगा के झाड़-फूँक का रोचक वर्णन करते हुए तेजिन्दर लिखते हैं-''बैगा के हाथ में झाड़ू है। उसने लाल रंग की लुंगी पहन रखी है। वह नंगे पांव है। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। उसने अपने माथे पर राख मल रखी है। उसके कंधों पर मोर पंख लटक रहे हैं। वह चीख रहा है। उसकी चीख की भाषा समझ से बाहर है। वह बार-बार नीचे लिटाये गये आदमी के इर्द-गिर्द चक्कर काटता है और चीखता है। शायद वह यह कहना चाह रहा है कि इस आदमी के शरीर में कोई प्रेतात्मा है, जिसे वह अपने मंत्रों के प्रभाव से बाहर निकाल देगा और यह व्यक्ति उसके प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।''[5] इस अंचल में टोना-टोटका का चलन अधिक दिखता है। कई बार टोना सामाजिक विवाद का कारण बनता है। बदले की भावना से प्रेरित लोग टोनही के शक में आदिवासी स्त्रियों की हत्या तक कर देते हैं। इस आशय की खबरें अक्सर स्थानीय अखबारों में छपती रहती हैं। अंधविश्वास के कारण निर्दोष आदिवासियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहां यह उल्लेखनीय है कि शेष समाज के लोग भी कई बार उसी अंधविश्वास के शिकार होते हैं जिसके शिकार आदिवासी हैं।

'पठार पर कोहरा' उपन्यास में मुंडा जनजाति में व्याप्त अंधविश्वासों की चर्चा की गयी है। गजलीठोरी गाँव के लोग रंगेनी से इसलिए डरते हैं क्योंकि वह झाड़-फूँक और जादू-टोने में पारंगत है- ''लोग जानते हैं कि रंगेनी के घर के आसपास नासान बोंगाओं की दुष्ट आत्माएं बसेंड़ लिए बैठी हैं। आँधी, बाढ़, अकाल, जंगल की आग या मवेशियों के रोग सब नासान बोंगाओं की बुरी नजर से होती हैं। सारे नासान बोंगा रंगेनी के इष्ट हैं। कहीं भगतिनियाँ खिसिया गयी तो काली बिल्ली बनकर बैरी के घर में पेस (प्रविष्ट) जाती है। सोये आदमी का अंगूठा चाटकर उसकी उमर चुरा लेती है -- फिर तो मरना तय है।''[6] स्पष्ट है कि अंधविश्वास के शिकार लोग केवल बीमारियों को ही अनिष्ट का परिणाम नही मानते बल्कि प्राकृतिक प्रकोप का कारण भी वे बुरी आत्माओं के असर को मानते हैं। इससे बचने के लिए आदिवासी तरह-तरह के आडंबर और अनुष्ठान का सहारा लेते हैं। अक्सर उनके लिए ये मानसिक त्रासदी का कारण बनता है।

बुंदेलखंड की कबूतरा जनजाति में भी अंधविश्वासों की झलक दिखाई पड़ती है। कबूतरा समाज देश के अत्यंत पिछड़े समाजों में से एक है और आज भी उनके समूचे परिवेश में परंपरागत मान्यताएं हावी हैं। 'अल्मा कबूतरी' उपन्यास में लेखिका कहीं-कहीं पर अंधविश्वासों की चर्चा करती हैं। राणा का भूत उतारने आये गुनिया के क्रियाकलाप का वर्णन करते हुए लेखिका लिखती हैं -

''गुनियाँ!

गुनिया जानता है वीर देवता उनका देव है। वीर देव की स्थापना की। लिपी हुई चबूतरी पर बेर के पत्ते, पान का पत्ता, गुड़ और बकरी का खून चढ़ाया। रोटी का चूरमा और लाल कपड़ा। मद और तेल पास में रखा। गुनियाँ आग लहकाता जाता, खून के छींटे देता जाता। कागजी आदमी, डेढ़ पसली की गुनियाँ। देवता आ गया उसके ऊपर। बलवान पहलवान की तरह पुख्तापन से तन गया।''[7] झाड़-फूँक करने वाले भूत-प्रेत उतारने के चक्कर में अजीबो-गरीब हरकते करते हैं। इससे रोगी ठीक तो नही ही होता, आस-पास के वातावरण में भी डर पैदा हो जाता है।

इस तरह हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी जागरूकता और शिक्षा के अभाव के कारण बहुत से अंधविश्वास आदिवासी समाज में प्रचलित हैं। आदिवासी संस्कृति का हिस्सा होते हुए भी कई बार ये अंधविश्वास उनके लिए आत्मघाती सिद्ध होते हैं। इन अंधविश्वासों के कारण आदिवासियों का स्वाभाविक विकास बाधित होता है। आज इस बुराई से मुक्ति के लिए शिक्षा का अधिकतम प्रसार, जन-जागरूकता में वृद्धि और आदिवासियों के मध्य वैज्ञानिक चेतना के प्रचार-प्रसार की नितांत आवश्यकता है। तभी इस बुराई से सही मायने में मुक्ति संभव है।

## संदर्भ


1. अवस्थी, राजेन्द्र, सूरज किरन की छांव, पृष्ठ 92, संस्करण 1979
2. सिंह, शिवप्रसाद, शैलूष, पृष्ठ 86, प्रथम संस्करण 1989
3. अवस्थी, राजेन्द्र, जंगल के फूल, पृष्ठ 18, संस्करण 1976
4. डॉ. बंशीधर, हिन्दी के आंचलिक उपन्यास : सिद्धांत और समीक्षा, पृष्ठ 159, प्रथम संस्करण 1983
5. तेजिन्दर, काला पादरी, पृष्ठ 71, प्रथम संस्करण 2005
6. सिंह, राकेश कुमार, पठार पर कोहरा, पृष्ठ 75, द्वितीय संस्करण 2005
7. पुश्पा, मैत्रेयी, अल्मा कबूतरी, पृष्ठ 51, प्रथम पेपरबैक संस्करण 2004